**Regarding Need to review and improve EWS (Economically Weaker Section) eligibility criteria- Laid**

श्रीमती मंजू शर्मा **(**जयपुर**) :** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का उद्देश्य लगभग 200 मिलियन लोगों का उत्थान करना है जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है । हालाकि ई.डब्ल्यू.एस आय की परवाह किये बिना उस व्यक्ति को बाहर कर सकता है जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है । ई.डब्ल्यू.एस. को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने आवासीय सम्पति मानदंड को पूरी तरह से छोड़ दिया है**,** लेकिन 5 एकड़ कृषि भूमि मानदंड़ को बरकरार रखा है**,** इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है । समाज में समानता**,** समता और विविधता प्रदान करने के लिए आरक्षण आवश्यक है । आरक्षण की नीति से हाशिये पर पड़े वर्गो का सामाजिक उत्थान तर्कसंगत करने की आवश्यकता है**,** ताकि सामाजिक गतिशीलता ओर योग्यता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके । इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट है । मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के लिए आग्रह करती हूँ**,** ताकि ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी का सरलीकरण हो सके और लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े ।